न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

संख्या 9/17

1. प्रयागनारायण पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कोमल प्रसाद पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर
2. मुकेश
3. राजेश
4. राकेश पुत्रान केदार प्रसाद
5. द्रोपती पत्नि केदार प्रसाद जातियान ब्राहम्ण निवासीयान बिच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर हाल निवासी म0न0 327/31 समाजवादी इंदिरा नगर टोल कांटे के पास चांदमारी के सामने इन्दौर (म0प्र0)
6. तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर
7. उप पंजीयक मलारना डूँगर

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिकी न्यायालय उप जिला कलक्टर मलारना डूँगर मु0न0 1/13 निर्णय दिनांक 25.1.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से श्री बालकृष्ण उपाध्याय, श्री विनोद अग्रवाल
3. रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 5 की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा

अपील संख्या 13/17

1. मुकेश
2. राजेश
3. राकेश पुत्रान केदार प्रसाद
4. द्रोपती पत्नि केदार प्रसाद जातियान ब्राहम्ण निवासीयान बिच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर हाल निवासी म0न0 327/31 समाजवादी इंदिरा नगर टोल कांटे के पास चांदमारी के सामने इन्दौर (म0प्र0)

अपीलांट

बनाम

1. कोमल प्रसाद पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर
2. प्रयागनारायण पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर
3. तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर
4. उप पंजीयक मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

स्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से श्री बालकृष्ण उपाध्याय
3. रेस्पोडेन्ट 2 की और से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 4.11.19

निर्णय

प्रस्तुत अपीले अपीलांटान की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 1/13 निर्णय व डिग्री दिनांक 25.1.17 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि भूमि ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा एवं ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा ग्राम बिच्छीदोना मे स्थित है। इस भूमि पर वादी एवं उसके पूर्व वादी के पिता बंशीलाल पुत्र बसन्तीलाल का पिछले 70–80 वर्षो से लगातार बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने उक्त भूमि को कभी काश्त नही की है, वे गांव छोडकर सदैव के लिए इन्दौर चले गये है। प्रतिवादी संख्या 1 का किसी भी तरह इस भूमि से कोई संबंध नही है। उक्त भूमि पर पिछले 70–80 वर्षो से वादी का कब्जा काश्त होने से वह स्वतः ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार हो गया है एवं अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। दिनांक 30.10.10 को प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि पर आकर बेदखल करने की धमकी देने तथा कब्जा न छोडने की स्थिति मे खामियाजा भुगतने की धमकी दी गई। वादी द्वारा विरोध किया गया तब वह वहॉ से चला गया परन्तु वापिस आने की धमकी देकर चला गया। यही वाद कारण उत्पन्न होने पर अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा एवं ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा ग्राम बिच्छीदोना का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील अपीलांट/वादी द्वारा इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपील संख्या 9/17 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने सें निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने तनकी संख्या 1 को राजस्व अभिलेख द्वारा एवं खातेदार रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे से पूर्ण रूप से भौतिक कब्जा पूर्वजो के समय से निरन्तर शांति पूर्वक चले आ रहे कब्जे को साबित किया है उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त योग्य है। विवादित भूमि साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा, ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा का अपीलांट/वादी ने मौके पर एक ही खेत बनाकर चारो ओर मेडबन्दी करके गेहूॅ की फसल बो रखी है। मौके पर अलग अलग हिस्से भी नही हो रहे है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। इस तथ्य की पुष्टि करने हेतु

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 का सजरा खानदान भी एक ही है। अपीलांट का बाबा बसन्ती लाल पुत्र वालावक्श था। विवादित भूमि की खसरा गिरदावरी बाबा के नाम दर्ज थी तत्पश्चात सम्वत 2012 मे बसन्ती लाल की मृत्यु होने के पश्चात सम्वत 2017 से विवादित भूमि की खसरा गिरदावरी बन्शीलाल के नाम दर्ज थी, एवं सम्वत 2017 से लेकर आज तक कभी भी भौतिक कब्जा मृतक मोतीलाल व रेस्पो0 कोमल प्रसाद का नही रहा। यह तथ्य साबित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नही किया। अधिनस्थ न्यायालय मे मृतक मोतीलाल द्वारा दिनांक 19.4.84 को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर रेस्पो0 का कब्जा मानने मे अहम कानूनी भूल की है। क्योकि वसीयत नामा स्वअर्जित सम्पति पर ही प्रभाव मे माना जाता है। जबकि विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार आज भी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज है। इसलिए वसीयत स्वतः ही इस प्रकार से प्रभाव शून्य हो जाती है। इस तथ्या को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। रेस्पो0 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होते हुए भी रेस्पो0 1 का काउन्टर क्लेम डिग्री किया गया है। जो विधि विरूद्व है। सम्वत 2012 की जमाबंदी मे सवटिनेन्ट केरूप मे कोमल या मोतीलाल का नाम नही था न ही मोतीलाल का विवादित आराजीयात पर सम्वत 2017 मे पश्चातवर्ती कब्जा नही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 19 आर टी एक्ट के तहत रेस्पो0 कोमल को खातेदारी अधिकार प्रदान कर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा , ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा के हाल नवीन न0 452 रकबा 0.15 है, ख0न0 465 रकबा 0.94 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 की भूमि खाता संख्या 273 सम्वत 2069 से सम्वत 2072 की जमाबंदी के अनुसार रेस्पों0 संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज है। विवादित भूमि के पूर्व मे स्थित भूमि ख0न0 369 की भूमि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि है। जिसके हाल नवीन ख0न0 466 रकबा 1.19 है0 है। जिस पर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा है। इस तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। वाद ग्रस्त भूमि पर अपीलांट/वादी एवं उसके पूर्व वादी के पिता बंशीलाल का पिछले 70–80 वर्षो से लगातार बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज है। जो गांव छोडकर इन्दौर चले गये है इन्होने कभी भी भूमि को काश्त नही किया । इतने लम्बे समय से भूमि पर कब्जा होने के कारण वादी स्वतः ही काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार हो गया है। इन तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वह निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त फरमाया जाकर ग्राम बिच्छीदोना की साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा , ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा के हाल नवीन ख0न0 452 रकबा 0.15 है, ख0न0 465 रकबा 0.94 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 है का अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज इन्द्राज को अपास्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 9/17 के रेस्पोडेट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट/वादी एवं उसके पिता बंशीलाल का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलांट/वादी ने प्रतिवादी/रेस्पो0 2 लगायत 5 से साज करके मुझ रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व अवैधानिक रूप से गैर कानूनी रूप से अधिनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0संख्या 1 का एवं मुझसे

Scanned by CamScanner

हले मेरे पूर्वजो का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ रेस्पो0 1 को खातेदार घोषित किया गया है। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 काफी अरसा दराज से ही इन्दोर मे रहते है तथा अपीलांट/वादी भी विगत कई वर्षो से गांव के बहार रहता है। मृतक मोतीलाल रेस्पो0 1 पिता जुगलकिशोर एवं दत्तक पिता बजरंग लाल का खास बड़ा भाई था। जिसके कोई सन्तान नही थी। रेस्पो0 संख्या 1 मृतक मोतीलाल का सबसे नजदीकी वारिस भी है एवं मृतक मोतीलाल की रेस्पो0 संख्या 1 ने ही सेवा की थी जिससे खुश होकर उसने अपनी तमाम चल अचल सम्पति का एक वसीयतनामा मुझ रेस्पो0 संख्या 1 के हक मे दिनांक 19.4.84 को बजरंग लाल माली डीडराईटर से लिखवाकर तहरीर व तकमील कर दिया था एवं रेस्पो0 1 के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवा दिया था। जिसके आधार पर मोतीलाल की खातेदारी की समस्त आराजीयात का नामा0 मुझ रेस्पो0 1 के नाम खुल चुका है। इसके अलावा साबिक ख0न0 355 रकबा 12 बिस्वा हाल ख0न0 452 रकबा 15 ऐयर तथा साबिक ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा हाल ख0न0 465 रकबा 94 ऐयर ग्राम बिच्छीदोना मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात पर शुरू से ही मृतक मोतीलाल पुत्र बसन्तीलाल का हिस्सा 1/2 पर कब्जा रहा है जो पूर्व की तरफ का भाग है जिसकी मेडबंदी हो रही है। मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात से ही मुझ रेस्पो0 1 का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबंदी एवं वार्षिक रजिस्टर सम्वत 2010 से 2013 मे मृतक मोतीलाल का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे बतौर उपकृषक दर्ज है। रेस्पो0 1 के पक्ष मे वसीयतकर्ता मोतीलाल राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव मे आने से पूर्व ही विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर उप कृषक दर्ज है। इसलिए धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वाई आपरेशन आफ ला स्वतः ही मृतक मोतीलाल एवं उसके बाद मुझ रेस्पो0 1 को उपरोक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार के अधिकार प्राप्त हो चुके है। तभी से रेस्पो0 इस पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। अपीलांट/वादी का कभी भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नही रहा है। प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 उनके पिता के समय से ही विवादित भूमि के कब्जे से आउट रहे है। इसलिए उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। इन सभी तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से विवेचन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 9/17 के रेस्पो0 2 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता का बहस अपील मे कथन रहा कि विवादित आराजीयात रेस्पों0 2 लगायत 5 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी/अपीलांट ही काबिज है। पूर्व मे अपीलांट/वादी के पिता एवं वर्तमान मे स्वयं अपीलांट/वादी काश्त का लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा हमारी सहमति से ही अपीलांट/वादी उक्त आराजी पर काबिज रहकर लाभ प्राप्त करता आ रहा है। रेस्पो0 1 का इस भूमि से कोई वास्ता नही है। रेस्पो0 2 लगायत 5 भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं वर्तमान मे इन्दौर के स्थाई निवासी हो गये है। जब से हम इन्दौर गये है तब से अपीलांट/वादी व वादी के पूर्वज विवादित आराजी पर कब्जे काश्त कर लाभ प्राप्त करते आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुए भी कदीमी समय से खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 452 रकबा 0.15 है0, ख0न0 465 रकबा 0.94 है0 के1/2 हिस्से पर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे डिग्री जारी करने मे अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 2 लगायत 5 के खातेदारी के अधिकारो के साथ घोर अन्याय कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 2 लगायत 5 के इन्दौर मे रहने के कारण हमेशा से अपीलांट से खेती साजे बांटे पर करवाते थे। जिसकी हमारे द्वारा

Scanned by CamScanner

सहमति दी गई थी। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय होने एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिग्री निरस्त फरमाई जाकर ग्राम बिच्छीदोना की साबिक ख0न0 355 रकवा 12 विस्वा , ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा के हाल नवीन ख0न0 452 रकवा 0.15 है, ख0न0 465 रकवा 0.94 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 है का रेस्पो0 2 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अपील संख्या 13/17 के अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने वहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने सें निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाटान खातेदार काश्तकार होते हुए भी कदीमी समय से खातेदारी की भूमि ख0न0 452 रकबा 0.15 है0, ख0न0 465 रकवा 0.94 है0 के 1/2 हिस्से पर रेस्पो0संख्या 1 के पक्ष मे डिग्री जारी करने मे अहम भूल की है। अपीलांटान एवं उनके पूर्व इन्दौर मे रहने के कारण हमेशा से पडोसी खेतो वालो से ही साझे बांटे पर काश्त करवाते आ रहे है। अपीलांटगण ने इस आशय की सहमति जवाब दावे मे दी थी। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व डिग्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण भी निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात रेस्पों0 2 लगायत 5 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी/अपीलांट ही काबिज है। पूर्व मे अपीलांट/वादी के पिता एवं वर्तमान मे स्वयं अपीलांट/वादी काश्त का लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा हमारी सहमति से ही अपीलांट/वादी उक्त आराजी पर काबिज रहकर लाभ प्राप्त करता आ रहा है। रेस्पो0 1 का इस भूमि से कोई वास्ता नही है। रेस्पो0 2 लगायत 5 भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं वर्तमान मे इन्दौर के स्थाई निवासी हो गये है। जब से हम इन्दौर गये है तव से अपीलांट/वादी व वादी के पूर्वज विवादित आराजी पर कब्जे काश्त कर लाभ प्राप्त करते आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुए भी कदीमी समय से खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 452 रकबा 0.15 है0, ख0न0 465 रकवा 0.94 है0 के 1/2 हिस्से पर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे डिग्री जारी करने मे अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 2 लगायत 5 के खातेदारी के अधिकारो के साथ घोर अन्याय कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 2 लगायत 5 के इन्दौर मे रहने के कारण हमेशा से अपीलांट से खेती साजे बांटे पर करवाते थे। जिसकी हमारे द्वारा सहमति दी गई थी। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय होने एवं विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिग्री निरस्त फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/17 के रेस्पोडेट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट/वादी एवं उसके पिता वंशीलाल का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलांट/वादी ने प्रतिवादी/रेस्पो0 2 लगायत 5 से साज करके मुझ रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्व अवैधानिक रूप से गैर कानूनी रूप से अधिनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0संख्या 1 का एवं मुझसे पहले मेरे पूर्वजो का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ रेस्पो0 1 को खातेदार घोषित किया गया है। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 काफी अरसा दराज से ही इन्दोर मे रहते है तथा अपीलांट/वादी भी विगत कई वर्षो से गांव के बहार रहता है। मृतक मोतीलाल रेस्पो0 1 पिता जुगलकिशोर एवं दत्तक पिता बजरंग लाल का खास बडा भाई था। जिसके कोई सन्तान नही थी। रेस्पो0 संख्या 1 मृतक मोतीलाल का सवसे नजदीकी

Scanned by CamScanner

वारिस भी है एवं मृतक मोतीलाल की रेस्पो0 संख्या 1 ने ही सेवा की थी जिससे खुश होकर उसने अपनी तमाम चल अचल सम्पति का एक वसीयतनामा मुझ रेस्पो0 संख्या 1 के हक मे दिनांक 19.4.84 को बजरंग लाल माली डीडराईटर से लिखवाकर तहरीर व तकमील कर दिया था एवं रेस्पो0 1 के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवा दिया था। जिसके आधार पर मोतीलाल की खातेदारी की समस्त आराजीयात का नामा0 मुझ रेस्पो0 1 के नाम खुल चुका है। इसके अलावा साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा हाल ख0न0 452 रकबा 15 ऐयर तथा साबिक ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा हाल ख0न0 465 रकबा 94 ऐयर ग्राम बिच्छीदोना मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात पर शुरू से ही मृतक मोतीलाल पुत्र बसन्तीलाल का हिस्सा 1/2 पर कब्जा रहा है जो पूर्व की तरफ का भाग है जिसकी मेडबंदी हो रही है। मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात से ही मुझ रेस्पो0 1 का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबंदी एवं वार्षिक रजिस्टर सम्वत 2010 से 2013 मे मृतक मोतीलाल का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे बतौर उपकृषक दर्ज है। रेस्पो0 1 के पक्ष मे वसीयतकर्ता मोतीलाल राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव मे आने से पूर्व ही विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर उप कृषक दर्ज है। इसलिए धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वाई आपरेशन आफ ला स्वतः ही मृतक मोतीलाल एवं उसके बाद मुझ रेस्पो0 1 को उपरोक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार के अधिकार प्राप्त हो चुके है। तभी से रेस्पो0 इस पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। अपीलांट/वादी का कभी भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नही रहा है। प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 उनके पिता के समय से ही विवादित भूमि के कब्जे से आउट रहे है। इसलिए उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। इन सभी तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से विवेचन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/17 के रेस्पो0 2 के विद्वान अधिवक्ता का बहस अपील मे कथन रहा कि भूमि ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा एवं ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा ग्राम बिच्छीदोना मे स्थित है। इस भूमि पर रेस्पो0 2 एवं उसके पूर्व रेस्पो0 2 के पिता बंशीलाल पुत्र बसन्तीलाल का पिछले 70–80 वर्षो से लगातार बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि अपीलांटान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। जबकि अपीलांटान ने उक्त भूमि को कभी काश्त नही की है, वे गांव छोडकर सदैव के लिए इन्दौर चले गये है। रेस्पो0 संख्या 1 का किसी भी तरह इस भूमि से कोई संबंध नही है। उक्त भूमि पर पिछले 70–80 वर्षो से रेस्पो0 2 का कब्जा काश्त होने से वह स्वतः ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार हो गया है एवं अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा नकल जमाबंदी सम्वत 2051 से 2054, नकल खसरा गिरदावरी 2009 से 2013, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 से 2020 , नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 तथा बयान गवाह भोरया पुत्र रामसुखा प्रदर्श 5, बयान गवाह रामरतन पुत्र मोतीलाल प्रदर्श 6 पेश किये एवं रेस्पो0 2 द्वारा स्वयं बयान दर्ज करवाये गये है। जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना ही वादी/रेस्पो0 2 का वाद पत्र खारिज किया जाकर विवादित आराजीयात का रेस्पो0 संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त योग्य है।

दोनो अपीले एक ही आदेश के विरूद्व होने से एवं दोनो के तथ्य एक समान होने के कारण दोनो की बहस एक साथ सुनी जाकर एक साथ ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस अपीलो पर सुनी गई। जिससे यह तथ्य सामने आये कि उक्त दोनो अपीले मातहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 1/2013 निर्णय दिनांक 25.1.17 के विरूद्व इस न्यायालय मे पेश की गई है। विद्वान अधिवक्ताओ की बहस दोनो अपीलो पर सुनने एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि नकल जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 मे विवादित भूमि मे 1/2 हिस्से पर मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल बतौर उपकृषक दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 मे भी 1/2 हिस्से पर मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल उपकृषक दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 लगायत 2012 मे भी 1/2 हिस्से पर मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल की काश्त दर्ज रिकार्ड है। नकल रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 19.4.84 के अनुसार मोतीलाल बल्द बसन्तीलाल ने उसकी चल अचल सम्पति का वारिस प्रतिवादी/रेस्पो0 1 कोमलप्रसाद को बनाया है। जिसके अनुसार रेस्पो0 कोमल प्रसाद मोतीलाल की समस्त चल व अचल सम्पति का कानूनी वारिस है। मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर उप कृषक के रूप मे काबिज काश्त रहे है। अर्थात दिनांक 31.12.69 से पूर्व से ही रेस्पो01 कोमलप्रसाद व उसके पूर्वज वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध मे तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार पूर्ण रूप से कानूनी विवेचन करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 19 के कानूनी प्रावधानो को मद्देनजर ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः दोनो ही अपीले सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

अतःअपील संख्या 9/17 उनवानी प्रयागनारायण बनाम कोमल प्रसाद वगै0 एवं अपील संख्या 13/17 उनवानी मुकेश वगै0 बनाम कोमल प्रसाद वगै0 खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 1/13 निर्णय दिनांक 25.1.17 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक से संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

4.11.19

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 13:26:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: